फिरोज गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी,
रायबरेली

दिनांक—12.07.2010

आवश्यक सूचना

संस्थान में अध्ययनरत उन समस्त छात्र—छात्राओं को सूचित किया जाता है, जिनके पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम है, कि वे दिनांक 16.07.2010 से प्रारम्भ होने वाली पंजीकरण प्रकिया में पंजीकरण फार्म के साथ ही अपने अभिभावक की आय का प्रमाण पत्र, जोकि एक लाख रूपये से कम का हो तथा दिनांक 01 अप्रैल 2010 के पश्चात जिला/तहसील कार्यालय का बना हो, दिखाकर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का फार्म अपने विभागीय कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

साथ ही उपरोक्त छात्रों को ये निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 23 जुलाई 2010 तक अपने फार्म किसी भी दशा में संस्थान कार्यालय में श्रीमती मधुप्रिया को निम्न प्रपत्रों के साथ दो प्रतियों में करके अवश्य जमा कर दें—

1. आय प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल 2010 के बाद का निर्गत मूल प्रति
2. जाति प्रमाण पत्र फोटोप्रति
3. अंतिम प्रदत्त परीक्षा की अंकतालिका की फोटो प्रति
4. बैंक ऑफ बड़ौदा, हाथी पार्क, रायबरेली में खुले खाते के पास बुक की फोटो प्रति

उपरोक्त के साथ ही छात्रों को ये भी सूचित किया जाता है कि शुल्क जमा करने में प्रदान की जाने वाली छूट उन्हीं छात्र—छात्राओं को तभी प्रदान की जायेगी जब शुल्क जमा करते समय अपने अभिभावक का आयप्रमाण 1लाख रू0 से कम का लगायेगे तथा उनके प्रमाण पत्र का सत्यापन करने पर वो सही पाया जायेगा।

शुल्कप्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति का फार्म किसी भी स्थिति में अधूरा एवं दिनांक 23.07.2010 के पश्चात नहीं जमा किया जायेगा तथा उपरोक्त दशा में शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति से वंचित छात्र—छात्राये स्वयं उत्तरदायी होंगी।

उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार आय प्रमाण पत्र के सत्यापन में गलत पाये जाने पर छात्र—छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

RM

निदेशक